प्रेस नोट थाना कैण्ट, गोरखपुर दिनांक 09.09.2022

अवैध अपमिश्रित देशी शराब, यूरिया व नौसादर के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता बेबी पुत्री विश्वनाथ निवासी महेरवा की बारी भैरोपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम नौसादर बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 705/2022 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-:

अभियुक्ता बेबी पुत्री विश्वनाथ निवासी महेरवा की बारी भैरोपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पूछने पर बता रही है कि साहब मै बहुत गरीब महिला हूँ अपने जिविकोपार्जन के लिये कच्ची शराब को शहर में ले जाकर राहगीरो को बेचती हूँ। आज भी मैं शहर में कच्ची शराब बेचने के लिए ले जाने वाली थी की आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। महिला से यूरिया व नौसादर के विषय में पूछा गया तो बता रही है कि यह हम कच्ची शराब में मिलाकर बेचते है जिससे इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। पीने वाले इस अपमिश्रित शराब को बड़े चाव से पीते है। इसीलिए मैने थोड़ा नौसादर और यूरिया इस जरीकैन में भी मिलाया है। इस प्रकार अभियुक्ता उपरोक्त अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

बेबी पुत्री विश्वनाथ निवासी महेरवा की बारी भैरोपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 705/22 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी :-

10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम नौसादर

गिरफ्तारी की टीम :-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर**
2. उ0नि0 आशुतोष कुमार राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 वैभव कुमार श्रीवास्तव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 राकेश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. म0कां0 सुनैना थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. म0कां0 ज्योति सरोज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर